न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री मुहम्मद जुनैद I.A.S.)

प्रकरण सं. 44/2017
किस्म दावा 88,89,53,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 28.12.2021

1. भूरीसिंह पुत्र ख्याली मृतक
   1/1 माधोसिंह पुत्र भूरीसिहं जाति जाट निवासी उंच तहसील नदबई (भरतपुर)राज.
   1/2 दलवीरसिंह पुत्र भूरीसिहं जाति जाट निवासी उंच तहसील नदबई (भरतपुर)राज.
   1/3 राजेश पुत्री भूरीसिहं जाति जाट निवासी उंच तहसील नदबई (भरतपुर)राज.

2. गोविन्दसिंह पुत्र ख्याली जाति जाट निवासी उंच तहसील नदबई (भरतपुर) राज0
   — वादीगण

बनाम

1. रामसहाय पुत्र बादाम मृतक
   1/1 रामस्वरूप पुत्र बादाम जाति जाट निवासी उंच तहसील नदबई जिला (भरतपुर)राज.
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई.
3. सब रजिस्ट्रार नदबई

तरतीवी प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री रघुवीरशरण गुप्ता (वादीगण)

निर्णय **दावा 88,89,53,188 आर.टी.ए.**

प्रकरण के संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88,89,53,188 आरटीए के तहत दिनांक 17.08.2004 को इस आशय का पेश किया कि :—

1. यह है कि आराजी ख0न0 1051 रकवा 2 बीघा 4 विस्वा के वादीगण पिता ख्याली की खुद काश्त आराजी थी। जिस पर वादीगण के पिता काबिज थे तथा उनकी मृत्यु उपरान्त वादीगण काबिज काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन सम्वंत 20287 मे भूं प्रबंध विभाग ने कानून खिलाफ मौका प्रतिवादी स. 1 के साबिक खसरा नम्बर 1043 मिन रकवा 3 बीघा 16 विस्वा, 1048 मिन रकवा 15 विस्वा के साथ वादीगण के उपरोक्त खसरा नम्बर 1051 रकवा 3 विस्वा मिलाकर नया खसरा नम्बर 1502 रकवा 3 बीघा बनाया जाकर तथा प्रतिवदीगण के साविक खसरा न. 1043 मिन रकवा 4 विस्वा , 1048 मिन रकवा 1 बीघा 12 विस्वा के साथ वादीगण के साविक खसरा न. 1051 रकवा 2 वीघा 1 बिस्वा को मिलाकर हाल खसरा न. 1522 रकवा 2 वीघा 9 बिस्वा का बनाया जाकर संपूर्ण रकवा की खातेदारी प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज कर दी, जबकि वादीगण अपने साबिक रकवा की नाप के मुताबिक पृथक से काबिज है, तथा भूप्रबंध विभाग को वादीगण के नाम हो रहे साविक इन्द्राजात को बदलने का कोई कानूनी अधिकार हासिल नहीं है। वादी वजह वादीगण अपने साबिक रकवा के अनुपात में हाल आराजी खसरा न. 152[illegible] 9 विस्वा वाके ग्राम ऊँच में से 28/49 के खातेदार काश्तकार घोषि[illegible] के अधिकारी हैं तथा शेष हिस्सा 21/49 प्रतिवादी सं. 1 के नाम वदस्त[illegible] हिस्से के प्रतिवादी सं. 1 के नाम हो रहे इन्द्राजात का [illegible]मजन [illegible]वे।
2. यह है कि वादीगण [illegible] 2 वीघा [illegible] के अनुपात में हाल खस[illegible] 19 बिस्वा वाके ग्राम [illegible]पृथक से हिस्सा 28/49 अनुपरूप काबिज काश्त करते हुये चले आ रहे हैं, लेकिन प्रतिवादी सं. 1 के नाम हो रहे संपूर्ण रकवे के गलत इन्द्राजात के आधार पर उसने वादीगण को वेदखल करने व रहनवयमुंतकिल करने की धमकी दिनांक 04.08.2004 को दी है। अगर प्रतिवादी सं. 1 अपनी दी गई उक्त धमकी में कामयाव हो गये तो

Junaid 28/12/21
उप खण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Muhammad Junaid P P
Date: 2022.01.04 18:03:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

वादीगण को अजीम क्षति होगी, जिसकी पूर्ति जरिये नकद नहीं हो सकेगी। अतः वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा न. 1522 रकवा 2 वीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम ऊँच के हिस्सा 28/49 से बेदखल नहीं करे, रहनवयमुंतकिल नहीं करें।

3. यह है कि वादीगण प्रतिवादीगण अपने –अपने साबिक खसरा नम्बरान से बने हाल खसरा न. 1522 रकवा 2 वीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम ऊँच पर मौका व हिस्सा काबिज है, उसी साबिक हिस्सा अनुरूप वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 के मध्य पृथक–पृथक कुरा निर्धारित कर पृथक–पृथक खातेदारी दर्ज कराई जावे।

4. यह है कि वाद वादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि हाल आराजी खसरा न. 1522 रकवा 2 वीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम ऊँच पर वादीगण को हिस्सा 28/49 के मुताबिक मद सं. 2 वाद पत्र के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे, शेष हिस्सा 21/49 के प्रतिवादी सं. 1 को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। संपूर्ण रूप से प्रतिवादी सं. 1 के नाम हो रहे इन्द्राजात को कलमजन किया जावे तथा प्रतिवादी सं. 1 को जरिये डिक्री हुक्मइम्तनाई से पाबन्द किया जावे कि वह वादीगण के हिस्से से वेदखल नहीं करे।

5. वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किये गये। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री धर्मेन्द्र एडवोकेट उपस्थित हुये तथा इनकी ओर से जबाब दावा पेश किये जाने हेतु बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी इनकी ओर से जबाब दावा पेश नहीं किया गया, तथा जबाब दावा प्रतिवादी सं. 1 की ओर से 13.02.2006 को बन्द किया गया, तदुपरान्त प्रतिवादी सं. 1 की ओर से जबाब दावा खोले जाने हेतु प्रार्थना पत्र 151 के तहत दिनांक 22.04.2006 को पेश किया गया। जिस पर न्यायालय में सुना जाकर दिनांक 18.05.2009 को प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. के तहत खारिज किया गया। जिसकी निगरानी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रतिवादी सं. 1 की ओर से की गई। माननीय मण्डल द्वारा अपने निर्णय केस न. Revision No. 4341/2012/TA/Bharatpur Date 22.02. 2017 अनुसार 5000/रू की कॉस्ट पर स्वीकार किया जाकर जबाब दावा पेश करने के आदेश पारित किये गये ।

6. मा0 राजस्व मण्डल राज0 अजमेर से पत्रावली प्राप्त होने पर पुन. जरिये सम्मन प्रतिवादीगणो को तलव किये। प्रतिवादीगण बावजूद तामील उपस्थित ना होने के कारण इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही दिनांक 13.10.2017 को अमल में लाई गई, तथा पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी नियत की गई।

7. वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में हाल जमाबंदी संबत 2050 से 2053 वाके ग्राम ऊँच प्रदर्श –1 नकल मिलान क्षैत्रफल संवत 2028 प्रदर्श–2, नकल जमाबंन्दी संवत 2013 प्रदर्श –3, 4, नकल जमाबंदी संबत 2028 प्रदर्श–5, नकल जमाबंदी संबत 2017 वाके ग्राम ऊँच प्रदर्श–6, नकल आदेशिका दिनांक 14.09.2015 मु0 रामस्वरूप बनाम गोविन्द वगै0 मु0 न0 97/12 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई प्रदर्श–7, नकल प्रमाणित फोटो प्रति दावा उनवान रामस्वरूप बनाम गोविन्द वगै0 प्रदर्श–8, नकल मौका रिपोर्ट ग्राम ऊँच ख0न0 2161 प्रदर्श 9, नकल जमाबन्दी संवत 2075 –78 वाके ग्राम ऊँच, नकल मिलान क्षैत्रफल संवत 2060 वाके ग्राम ऊँच तहसील नदबई के पेश किये गये,

8. वादीगण द्वारा गोविन्दसिंह पुत्र ख्याली जाति जाट निवासी ऊँच एवं गोविन्द पुत्र शंकर जाति जाट निवासी ऊँच ,अरबसिंह पुत्र थानसिंह जाति जाट निवासी ऊँच तहसील नदबई के मौखिक व्यान पेश किये गये। उक्त गवाह से प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 17.11.2009 को जिरह की गई।

9. प्रतिवादीगण द्वारा अपने समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य न्यायालय हाजा में पेश नहीं किये गये।

10. हमने वादीगण के विद्वान वकील की बहस को सुना गया, तथा पत्रावली में उपलब्ध साबिक रिकॉर्ड का अवलोकल किया गया तो पाया कि प्रदर्श सं. 5 के अनुसार साबिक खसरा न. 1051 रकवा 2 वीघा 4 बिस्वा के वादीगण के पिता ख्याली पुत्र मंगल की खुदकाश्त की आराजी थी जो जमाबंदी संबत 2013 लगायत 2016 से साबित है परंतु संबत 202[illegible] सं. 1 जो कि रामसहाय पुत्र बादाम के नाम खातेदारी के इन्द्राजा[illegible] दर्ज कर दिये गये। जमाबंदी संबत 2028 प्रदर्श–3 से [illegible] रा न. 1043, 1048 के साथ वादीगण के खस[illegible] 1051 के साथ [illegible]कर नया खसरा न. 1502 रकवा 3 वीघा बनाया जाकर तथा [illegible] रकवा 4 बिस्वा व 1048 मिन रकवा 1 वीघा 12 बिस्वा के साथ वादीगण के साबि[illegible] खसरा न. 1051 रकवा 2 वीघा 1 बिस्वा को मिलाकर नया खसरा न. 1522 रकवा 2 वीघा 19 बिस्वा बनाया गया है तथा प्रतिवादी सं. 1 के नाम संपूर्ण आराजी दर्ज की गई है, जो कि वादीगण द्वारा

Junaid 28/12/21
खण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Muhammad Junaid P P
Date: 2022.01.04 18:03:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत प्रदर्श–5 से साबित है तथा वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत बयान गोबिन्द सिंह पुत्र ख्याली, गोविन्द पुत्र शंकर, अरबसिंह पुत्र थानसिंह जाति जाट निवासी ऊँच पेश किये गये जो कि वादपत्र की ताहीद करता है। अतः उक्त विवादित आराजी हाल खसरा न. 1522 रकवा 2 वीघा 9 बिस्वा जो कि अकेले प्रतिवादी सं. 1 रामसहाय पुत्र बादाम के नाम अंकित है, जो कि काबिल कलमजन के है। उक्त आराजी में वादीगण अपना हिस्सा 28/49 के खातेदार घोषित करा पाने के अधिकारी हैं तथा शेष हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 के नाम वदस्तूर रहेंगे। अतः वादीगण का वादपत्र काबिल डिक्री के है।

आदेश

अतः आदेश है कि गत आराजी खसरा न. 1522 रकवा 2 वीघा 9 बिस्वा के हाल आराजी खसरा न. 2161 के रकवा 0.62 है. वाके ग्राम ऊँच तहसील नदबई पर वादीगण को हिस्सा 28/49 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, तथा शेष हिस्सा 21/49 के प्रतिवादीगण सं. 1 को इन्द्राजात बदस्तूर रहेंगे एवं प्रतिवादी सं. 1 के हो रही संपूर्ण इन्द्राजात कलमजन किये जावें, तथा प्रतिवादीगणों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह गत आराजी खसरा न. 1522 रकवा 2 वीघा 9 बिस्वा के हाल आराजी खसरा न. 2161 के रकवा 0.62 है. वाके ग्राम ऊँच तहसील नदबई के वादीगण को हिससे से वेदखल नही करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2021 को सरइजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फेसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Junaid 28/12/21.

(मुहम्मद जुनैद)
आई.ए.एस
उपखण्ड़ अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Muhammad Junaid P P
Date: 2022.01.04 18:03:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner